

सं. AV-29013/93/2025-ईआर
भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

‘बी’ ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,
नई दिल्ली
दिनांक: 21/07/2025

सेवा में,

श्री अमूल्य प्रभाकर
बी-303, साकेत विहार अपार्टमेंट, पिलर नं०-28 के निकट,
खाजपुरा, बेली रोड, पटना,
पिन 800014.

**विषय: सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु
अनुरोध -संबंधी।**

महोदय,

कृपया दिनांक 15/07/2025 के अपने ऑनलाइन आरटीआई आवेदन, पंजीकरण संख्या
एमओसीएवी/आर/ई/25/00393 का संदर्भ लें।

2. जहाँ तक ईआर प्रभाग का संबंध है, सूचना निम्नानुसार है:

क्र०सं०	मांगी गई सूचना	उत्तर
1.	कृपया भारत-नेपाल के बीच विमानों के आवागमन हेतु एरियल गेटवे (एयर एंटी-एग्जिट पॉइंट) के संबंध में विवरण प्रदान करें। भारत-नेपाल के बीच कितने एरियल गेटवे स्वीकृत और कार्यरत हैं, तथा कितने और प्रस्तावित/प्रक्रियाधीन हैं, कृपया बताएं।	यह मामला एग्रीमेंट डिवीजन (एमओसीए) एवं डीजीसीए से संबंधित है।
2.	भारत में कितने एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग) केंद्र कार्यरत हैं और कितने और प्रस्तावित/प्रक्रियाधीन हैं? कृपया बताएं कि क्या पटना या पूर्वोत्तर भारत, बिहार अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमआरओ केंद्र स्थापित करने की कोई योजना है।	ईआर प्रभाग का उत्तर: डीजीसीए द्वारा अनुमोदित विमान रखरखाव संगठनों की सूची डीजीसीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, सरकार का उद्देश्य विभिन्न नीतिगत, नियामक एवं अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से भारत में विमान एमआरओ सेवाओं की स्थापना को सुगम बनाना है, न कि स्वयं कोई सुविधा स्थापित करना।

क्र०सं०	मांगी गई सूचना	उत्तर
3.	पिछले 5 वर्षों में एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल) हेतु नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से कितने विमान भारत आए हैं, कृपया बताएं।	ईआर प्रभाग का उत्तर: यह मामला डीजीसीए एवं आईआईएसएल से संबंधित है।
4.	एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग) से संबंधित पुर्जों/भागों के निर्माण में संलग्न सरकारी एजेंसियों की सूची, यदि कोई हो, प्रदान करें।	ईआर प्रभाग का उत्तर: यह मामला डीजीसीए एवं आईआईएसएल से संबंधित है।
5.	क्या भारत और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के बीच विमान रखरखाव हेतु कोई संधि/व्यवस्था है? यदि हाँ, तो कौन-सी एजेंसियां एमआरओ सुविधा की देखरेख करती हैं?	ईआर प्रभाग का उत्तर: यह मामला डीजीसीए एवं आईआईएसएल से संबंधित है।

3. उपर्युक्त के दृष्टिगत, "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" की धारा 6(3) में निहित प्रावधानों के अनुसार, यह आरटीआई आवेदन एग्रीमेंट डिवीजन (एमओसीए), डीजीसीए एवं आईआईएसएल के सीपीआईओ को इस अनुरोध के साथ अंतरित किया जा रहा है कि आवश्यक सूचना सीधे आवेदक को प्रदान की जाए।

भवदीय,

(इंदु बुटानी)

सीपीआईओ/अवर सचिव, भारत सरकार

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को यह अनुरोध सहित कि आवश्यक सूचना सीधे आवेदक को प्रदान करें:

- सीपीआईओ/निदेशक, विमान योग्यता विभाग, डीजीसीए, सफदरजंग एयरपोर्ट, अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली - 110003
- सीपीआईओ, आईआईएसएल, सीआरए बिल्डिंग, द्वितीय तल, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली - 110003
- सीपीआईओ, एग्रीमेंट डिवीजन, एमओसीए

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

आरटीआई सेल, नागर विमानन मंत्रालय, आरजी भवन, नई दिल्ली।